7.2.18

वकुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस सुनी गई ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि ख0नं0 518 के 1/4 भाग का अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ख0नं0 518 के पश्चिम में राजकीय भूमि बंजड जोहड ख0नं0 553 रकबा 8.50 हैक्टर वाके ग्राम तोगड़कंला स्थित है। इस आराजी पर पहले अपीलान्ट को 31 वर्ग मीटर पर आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिस पर अपीलान्ट को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के तहत नोटिस दिया जाकर प्रकरण सं0-38/2006 दर्ज कर दिनांक 16-10-2006 को 31 मीटर पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपील स्वीकार कर प्रकरण नायब तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया । अदालत मातहत द्वारा पुनः दिनांक 11-6-2008 को अपीलान्ट को 22.50 मीटर भूमि पर नाजायज कब्जा मानकर पूर्ववत आदेश को यथावत रखा । तथा पक्के निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया । जिसके विरूद्ध पुनः अपील की जिस पर अपील को स्वीकार कर अपीलान्ट की मौजूदगी में नपती के आदेश दिये जिसमें मौके पर मुश्तकील पोईण्ट कायम कर नपती की कार्यवाही के निर्देश दियें ।नायब तहसीलदार ने आदेश की पालना न कर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई जाकर अपीलान्ट के पक्के मकान ध्वस्त करने का आदेश पारित किया ।इस प्रकार विद्वान अदालत मातहत ने अपना आदेश वास्तविक स्थिति के विपरित पारित किया । जिसे के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया ।अदालत मातहत की पत्रावली मगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी बंजड जोहड है जिस पर अपीलान्ट का चाहे कितना ही पुराना कब्जा क्यों न हो इस आराजी का नियमन अपीलान्ट के पक्ष में नहीं किया जा सकता ।अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह है कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट को कभी 31 वर्ग मीटर पर

4/2013 ओरिवाल - सरकार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अतिक्रमी बताया है । विवादित आराजी की नपती किसी पुख्ता पोईण्ट को कायम कर नहीं की गई तथा ना ही अपीलान्ट की मौजूदगी में में नपती की गई ।तथा ना ही नपती करने वालो के बयान लिये विद्वान नायब तहसीलदार ने अदालत के निर्देशों की पालना न करते हुये अपना आदेश पारित किया है अतः हम प्रकरण को विद्वान नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह पूर्व में प्रकरण को रिमाण्ड कर जो निर्देश दिये है उनकी पालना करते हुये अपना आदेश पुनः-3 माह में पारित करें । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 11-10-2012 एवं विद्वान नायब तहसीलदार नवलगढ का का निर्णय दिनांक 19-7-2012 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान नायब तहसीलदार नवलगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पूर्व में जारी निर्देशों की पालना करते हुये अपना निर्णय पुनः 3 महिने के अन्दर पारित करें ।पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 12-3-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	